संख्या-354/57-2022-7(1)/2017- TC-2

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासना

सेवा में,

आयुक्त/निदेशक,
धर्मार्थ कार्य विभाग वाराणसी मण्डल
वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ: दिनांक 2 मई, 2022

विषय:- जनपद- गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के विद्युत बिल के भुगतान हेतु वित्तीय

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, मेडिकल कालेज इकाई, नई दिल्ली के पत्र संख्या-341/ESIC-Delhi/RNN/2022 (KM) तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-अष्टम 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र शिप्रा सनसिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद (उ0प्र0) के पत्र सं0-782/वि०न०बि००-अष्टम/गा०बाद दिनांक 23.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का दिनांक 11.12.2020 से दिनांक 01.03.2022 तक विद्युत बिल की बकाया धनराशि रू0 34,76,457.00 (रु० चैतीस लाख छियत्तर हजार चार सौ सत्तावन मात्र) का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 260.00 लाख (रू० दो करोड़ साठ लाख मात्र) के सापेक्ष जनपद- गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के विद्युत बिल के भुगतान हेतु धनराशि रूपए 34.76457 लाख (रू) पैंतीस लाख छियत्तर हजार चार सौ सत्तावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त धनराशि आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के माध्यम से जिलाधिकारी गाजियाबाद को अवमुक्त किये जाने हेतु आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. उक्त बकाया विद्युत बिल की धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त रसीद शासन को उपलब्ध करायी जाए।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 34,76,457 (रुपये चौतीस लाख छिहत्तर हजार चार सौ सत्तावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 084 लेखा शीर्षक 2250001010500 कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के संचालन हेतु मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

नामे डाला जायेगा।3. यह आदेश विस (आय व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021- 231/2022, दिनांक 30 दिसंबर 2021 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधमित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-354/57-2022-7(1)/2017- TC - तद् दिनांक</u>

प्रतिनिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3. कोषाधिकारी, वाराणसी / गाजियाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
5. जिलाधिकारी, गाजियाबाद)
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 मेडिकल कालेज इकार्ड, नई दिल्ली। 7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-अष्टम 33/11 के०बी० उपकेन्द्र शिप्रा सनसिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/ सामान्य प्रशासन अनुभागा
9. गार्ड फाइल

आशा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
उप सचिव

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।